प्रेस नोट संख्या 49
दिनांक 25.05.2024
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा 03 नफर वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्त गिरफ्तार, मारपीट की घटना में प्रयुक्त सरिया व डण्डा बरामद।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.05.2024 को उ0नि0 श्री अम्बिका सिंह थाना मुसाफिरखाना मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 122/24 धारा 147,148,149,323,308,120बी भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी में वांछित/प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्त 1.सचिन तिवारी पुत्र स्व0 सुनील कुमार तिवारी निवासी पूरे शंकर तिवारी मजरे नेवादा किशुनगढ थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष, 2.योगेश तिवारी पुत्र दिलीप कुमार तिवारी निवासी बभनगांव मजरे कुण्डा नेवादा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष व 3.निगम तिवारी पुत्र संजय तिवारी निवासी महिमापुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष को नगेसरगंज हाइवे ओवरब्रिज के पास से समय करीब 09:45 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त सचिन तिवारी व योगेश तिवारी ने बताया कि हमलोगों के रिश्तेदार व अमर बहादुर यादव के मध्य आपसी विवाद चल रहा था जिसको लेकर अमर बहादुर यादव व्यंग्य किया करते थे। जिसका बदला लेने के उद्देश्य से हमलोगों ने शिवम पाठक, शुभम पाठक पुत्रगण रामदर्शन पाठक निवासी पूरे शंकर तिवारी मजरे नेवादा किशुनगढ थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी, शैलेन्द्र व महेन्द्र के साथ मिलकर अमरबहादुर यादव से मारपीट करने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार दिनांक 22.05.2024 को शाम को जब अमर बहादुर यादव डेयरी से दूध लेकर आ रहे थे तभी हमलोगों ने जगईपुर टावर के पास अमर बहादुर यादव को रोककर लोहे की सरिया व डण्डा से मारपीट किये थे। घटना में प्रयुक्त डण्डा व लोहे की सरिया के संबन्ध में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि हमलोगों ने घटना के बाद कुटी के पास गौरीगंज रोड पर डण्डा व सरिया को झाड़ियों में फेंक दिया था। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा व सरिया को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. सचिन तिवारी पुत्र स्व0 सुनील कुमार तिवारी निवासी पूरे शंकर तिवारी मजरे नेवादा किशुनगढ थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष।
2. योगेश तिवारी पुत्र दिलीप कुमार तिवारी निवासी बभनगांव मजरे कुण्डा नेवादा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष।
3. निगम तिवारी पुत्र संजय तिवारी निवासी महिमापुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-

1. 01 अदद लोहे की सरिया।
2. 01 अदद डण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 122/24 धारा 147,148,149,323,308,120बी भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 अम्बिका सिंह थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. हे0का0 घनश्याम यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. हे0का0 पवन यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।